प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 29/2024)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा)

भादूविप्रा ने "दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (छठा संशोधन) विनियम, 2024" अधिसूचित किया।

नई दिल्ली, 14 जून 2024 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (छठा संशोधन) विनियम, 2024 अधिसूचित किया।

2. मूल विनियम अर्थात् दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि विनियम, 2007 (2007 का 6) दिनांक 15.06.2007 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं के अघोषित धन राशि को जमा करने, दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि के रखरखाव तथा अन्य संबंधित पहलुओं के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं।

3. समय के साथ निम्नलिखित के संबंध में मूल विनियमों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई:

i. खातों के उचित रख-रखाव एवं लेखापरीक्षा से संबंधित व्ययों के लिए निधि के उपयोग का प्रावधान, तथा दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (सीयूटीसीईएफ) के उपयोग के लिए समिति की बैठकों में उपभोक्ता समूहों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के लिए प्रावधान।

ii. दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि की राशि जमा करने के उद्देश्य से किसी भी अनुसूचित बैंक को अनुमति देना।

4. इस संबंध में, टिप्पणियों के लिए दिनांक 24.07.2023 को एक मसौदा संशोधन जारी किया गया था। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने आज मूल विनियमों में छठे संशोधन को अधिसूचित किया।

5. दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (छठा संशोधन) विनियम, 2024 को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर देखा जा सकता है।

6. किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, श्री आनंद कुमार सिंह, सलाहकार (सीए और आईटी), भादूविप्रा से टेलीफोन: 011-20907756 या ईमेल आईडी: advisorit@trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

14/6/2024

(महेंद्र श्रीवास्तव)

सचिव प्रभारी, भादूविप्रा